न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/2020
प्रकरण दर्ज तिथि :– 27.02.2020
जीसीएमएस नम्बर :– 2020/00003

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख, उम्र–व्यस्क, जाति–माली, निवासी–रायपुर तहसील रायपुर पाली राज.		1. तहसीलदार रायपुर 2. पटवारी, पटवार हल्का सबलपुरा

प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः– 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 10.08.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला वगैरह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम सबलपुरा के खसरा नं. 229/1 मे सोहनसिंह पुत्र श्री मानसिह से उसके हिस्से कि कृछ कृषि भुमि जरिये रजिस्ट्री खरीद की थीं। जमाबन्दी सवत् 2066–2069 मे उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण सं. 715 दिंनाक 06/04/2011 से खातेदारी अधिकार दिये गयें। प्रार्थीया ने ग्राम सबलपुरा के खसरा नं. 229/2 मे सोहनसिंह पुत्र श्री मानसिह से उसके हिस्से की सम्पुर्ण कृषि भुमि जरिये रजिस्ट्री खरीद की थीं। जमाबन्दी सवत् 2066–2069 मे उक्त रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण सं. 732 दिंनाक 05/08/2011 से खातेदारी अधिकार दिये गयें।प्रार्थीया को खसरा नं 229/1 मे नामान्तरण सं. 715 द्वारा सोहन सिंह से कुछ हिस्सा खरीद करने से उसके साथ खातेदारी हक दिया जाकर उक्त नामान्तरण का अमल जमाबन्दी सवत् 2066–2069 मे इन्द्राज हो गया। परन्तु अगली चौसाला जमाबन्दी तैयार करते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने भुलवश अज्ञानता वश उक्त नामान्तरण के नोट को आगे की चौसाला जमाबन्दी मे अमल दरामद नहीं किया। जिस कारण प्रार्थीया का नाम खातेदारी मे दर्ज होने से रह गया। प्रार्थीया ने नामान्तरण भरवाकर जमाबन्दी प्राप्त कर निश्चित होकर काश्त करने लग गये जो आज भी बिना रोक टोक कर रही है। उसी प्रकार से प्रार्थीया को खसरा नं 229/2 मे नामान्तरण सं. 732 द्वारा सोहन सिंह से उसका सम्पुर्ण हिस्सा खरीदने से सोहन सिंह के स्थान पर खातेदारी हक दिया जाकर उक्त नामान्तरण का अमल जमाबन्दी सवत् 2066–2069 मे इन्द्राज हो गया। परन्तु अगली चौसाला जमाबन्दी तैयार करते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने भुलवश अज्ञानता वश उक्त नामान्तरण के नोट को आगे की चौसाला जमाबन्दी मे अमल दरामद नहीं किया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

जिस कारण प्रार्थीया का नाम खातेदारी मे दर्ज होने से रह गया। प्रार्थीया ने नामान्तरण भरवाकर जमाबन्दी प्राप्त कर निश्चित होकर काश्त करने लग गये जो आज भी बिना रोक टोक कर रही है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भुल से प्रार्थीया का नाम छोडा गया जो अवैद्यानिक एवं विधि विरूद्व है। एवं जिसे सुधारा जाना न्यायहित मे आवष्यक है। उक्त विवादित भुमि ग्राम सबलपुरा के खसरा नं. 229/1 मे दर्ज भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर के साथ प्रार्थीया का नाम पुनः जोडा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर के स्थान पर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर संसोधन किया जावें।उक्त विवादित भुमि ग्राम सबलपुरा के खसरा नं. 229/2 मे दर्ज शंकरसिंह भवानीसिंह पि. सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह के स्थान पर प्रार्थीया का नाम पुनः जोडा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज शंकरसिंह भवानीसिंह पि. सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह का नाम हटाया जाकर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर संसोधन किया जावें।

प्रार्थीया ने नामान्तरण करवाने के पश्चात् कभी भी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन नही किया एवं प्रार्थीया को कभी राजस्व रेकर्ड के अवलोकन की आवश्यकता ही नही पडी जिससे प्रार्थीगण को यह ज्ञात हो सके कि प्रार्थीया के राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज ही नही है। प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर आज दिनाक तक बेरोक–टोक काश्त करता आ रहा है। कभी किसी परेशानी नही हुई। प्रार्थीया ने अपनी कब्जा शुदा भुमि पर पेसे खर्च कर उपजाउ बनाया था किसी ने कोई आब्जकशन नही होने से उसे यह तथ्य ज्ञात नही हुआ। क्योकि उक्त भुमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। उक्त गलती केवल कम्प्युटर के द्वारा चौसाला जमाबन्दी तैयार करते समय तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा टंकण करते समय भुलवश नाम दर्ज हो गया जिसे हटाया जाना न्यायहीत मे अत्यन्त आवश्यक है। दिनाक 24/11/2019 को अपने खातेदारी भुमि पर मिलने वाली भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी सहायता हेतु पटवारी हल्का से खेत कि जमाबन्दी की नकल निकलवाई। तब हल्का पटवारी ने बताया की आप का नाम उक्त भुमि मे नही है तब हमने हल्का पटवारी से नकल प्राप्त कि एवं राय ली तो हल्का पटवारी ने पुराना रेकर्ड निकलवाने को कहा। तहसील आकर हमने अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं पुराना

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

रेकर्ड निकाला तो ज्ञात हुआ कि सवत् 2070–2073 की जमाबन्दी तैयार करते समय भुलवश इन्द्राज होने से छुट गया है। तब प्रार्थीया ने पुराना चौसाला जमाबन्दी अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार व अप्रार्थी सं. 2 हल्का पटवारी को बतायी तब उन्होंने देख कर कहा जब नई जमाबन्दी बनायी गई तब तत्कालीन हल्का पटवारी से भुल वश नाम दर्ज होने से रह गया है। तब प्रार्थीया ने इसे सुधारने के लिए कहा तो हल्का पटवारी ने इसे सुधारने हेतु न्यायलय मे जाकर ही सुधारा जा सकता है जिससे हल्का पटवारी ने श्रीमान के न्यायलय मे शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश करने कि जानकारी दि इसलिए प्रार्थीया का नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करता आ रहा है, तथा प्रार्थीया ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर जमाबन्दी सवत् 2066–2069 के अनुसार प्रार्थीया का नाम भी दर्ज नही होता है। तो प्रार्थीया को आर्थिक मानसिक क्षति होगी जिसकी पुर्ति किया जाना किसी भी सुरत मे सम्भव नहीं होगा। जिससें प्रार्थीया एवं उनके परिवारजन को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व प्रार्थीया को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। प्रार्थीया के पास न्यायलय की शरण मे जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से प्रार्थीया अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायलय में पेश कर रहा हैं। उक्त प्रार्थना पत्र जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना पत्र पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है।

सरहद मौजा सबलपुरा, पटवार हल्का सबलपुरा, भु. अभि. निरि. कोट किराणा तहसील रायपुर की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के **खसरा नं. 229/1** मे दर्ज भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर के साथ प्रार्थीया का नाम पुनः जोडा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर के स्थान पर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर संसोधन किया जावें। इसी प्रकार खसरा नं. 229/2 मे दर्ज शंकरसिंह भवानीसिंह पि. सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह के स्थान पर प्रार्थीया का नाम पुनः जोडा जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज शंकरसिंह भवानीसिंह पि. सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सोहनसिंह कौम रावत सा. देह का नाम हटाया जाकर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर संसोधन करने का आदेश प्रदान किया जावें एवं उस आदेश कि पालना करवा कर न्यायलय से प्रार्थीया कि इसकी प्रति उपलब्ध करवायी जावें जिससे प्रार्थीया को हो रही मानसिक, आर्थिक हानि से बचा जा सके एवं भविष्य मे होने वाली परेशानी से बचा जा सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। सरकारी पैरोकार ने अपना जबाव प्रस्तुत किया, प्रस्तुत जबाव में खसरा नम्बर 229/1 रकबा 32.06 बीघा में सोहनसिंह पुत्र मानसिंह ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा तुलसी देवी पत्नि रामसुख को बेचान करने से खाते में विरदसिंह मोहनसिंह सोहनसिंह पि मानसिंह के स्थान पर विरदसिंह मोहनसिंह पि. मानसिंह सोहनसिंह पुत्र मानसिंह कौम रावत तुलसीदेवी पत्नि रामसुख माली का सही इन्द्राज था। नामान्तरण संख्या 732 खसरा नं 229/2 रकबा 8.05 बीघा में सोहनसिंह पुत्र मानसिंह ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बेचान करने से खातें में विरदसिंह मोहनसिंह पि मानसिंह कौम रावत तुलसीदेवी पत्नि रामसुख कौम माली का सही इन्द्राज था। खातेदार सोहनसिंह पुत्र मानसिंह द्वारा नामान्तरण 715 दिनांक 06.04.2011 व 732 दिनांक 08.05.2011 खसरा नं 229/1 में आंशिक व खसरा नं 229/2 में सम्पूर्ण हिस्सा बेचान तुलसीदेवी पत्नि रामसुख को करने के उपरान्त भी नामान्तरण संख्या 830 दिनांक 12.01.2013 विरासत से सोहनसिंह पि मानसिंह फौत के स्थान पर भवानीसिंह शंकरसिंह पि सोहनसिंह फेफीदेवी सोहनसिंह का नाम दर्ज किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा सबलपरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नम्बर 229/1 की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज खातेदार दर्ज भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर के स्थान पर रजिस्ट्री मे दर्ज हिस्से अनुसार तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर दर्ज करने का तथा खसरा नम्बर 229/2 की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज खातेदार शंकरसिंह भवानीसिंह पि. सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह के स्थान पर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर संशोधित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर सरहद मौजा सरहद मौजा सबलपरा पटवार हल्का सबलपुरा के खसरा नम्बर 229/1 की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज खातेदार दर्ज भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर के स्थान पर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर भवानीसिंह पुत्र सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह सन्तोष देवी पत्नि श्री पुखराज कौम माली सा. रायपुर तथा खसरा नम्बर 229/2 की जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज खातेदार शंकरसिंह भवानीसिंह पि. सोहनसिंह फेफीदेवी पत्नि सोहनसिंह कौम रावत सा. देह के स्थान पर तुलसीदेवी पत्नि श्री रामसुख कोम माली सा. रायपुर संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)